भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या992

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

तेजाब हमले के पीड़ितों का पुनर्वास

†992. श्री रवि प्रकाश वर्माः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर चिंता जताई है और ऐसे पीड़ितों के उपचार के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा किये गए किये जाने वाले उपाय क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ग को लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धारा को लागू करने पर तेजाब पीड़ितों को क्या लाभ होगा और अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 की रिट याचिका (सीआरएल) 129; लक्ष्मी बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 06.02.2015 को अपना निर्णय देते हुए सरकार को तेजाब हमले के पीड़ितों के मामले में उनके अस्पताल में भर्ती होने, चिकित्सा उपचार आदि के भुगतान के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357ग के प्रक्रियात्मक पहलुओं को सरल बनाने का निर्देश दिया है।

(ख) से (घ) : माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उपर्युक्त निर्णय में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357ग में की गई परिकल्पना के अनुसार उपचार की लागत का हवाला दिया है। तेजाब हमले के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किए जाने के मामले का समाधान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा 166ख के समावेशन के माध्यम से दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के द्वारा पहले ही किया जा चुका है, जिसमें तेजाब हमले के पीड़ितों को मुफ्त में प्राथमिक चिकित्सा उपचार अथवा चिकित्सा उपचार प्रदान करने से इंकार करने वाले अस्पतालों (सरकारी अथवा निजी) के मामले में एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ग में यह निर्धारित किया गया है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित, सरकारी अथवा निजी, सभी प्रकार के अस्पताल, तेजाब हमले के पीड़ितों और भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ अथवा 376ड. के अधीन शामिल किसी भी अपराध के पीड़ित को मुफ्त में प्राथमिक चिकित्सा सहायता अथवा चिकित्सा उपचार प्रदान करेंगे और तत्काल उस घटना के बारे में पुलिस को सूचित करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को विशेष कर तेजाब हमले के पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती होने, उनके चिकित्सा उपचार आदि के भुगतान के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से सरल एवं कारगर प्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया है।